KI 29 ET0E
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012 टैन्ट, फर्नीचर, ध्वनि एवं प्रकाश /विद्युत व्यवस्था आदि हेतु

क्रमांक ....

टैण्डर फार्म

टैण्डर फार्म 500+65=565 रू0प्रति फार्म

फर्म का नाम एंव पता ....

मैं ....(नाम) निविदा संख्या–361/29–5(वि.स.)/2011–2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 में दी गयी समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन अपनी फर्म से निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूँ :—

टैन्ट फर्नीचर व्यवस्था

विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 –हेतु किराये पर ली जाने वाली सामग्री की सूची

क0स0	वस्तु का नाम	साइज	इकाई	दर रूपये में समस्त टैक्स (वैट एवं अन्य सभी करों) सहित	
				प्रथम दिन	आगे के प्रत्येक दिन हेतु
1	2	3	4	5	6
1–	सामान्य पण्डाल (पाईप) समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
2–	वाटर प्रुफ पण्डाल समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
	वी.आई.पी.पण्डाल समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित				
3–	मतगणना हेतु पक्के हाल में गणना कक्ष का निर्माण (सामान्य) समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
4–	मतगणना हेतु पक्के हाल में गणना कक्ष का निर्माण (साईड मे जाली सहित) समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
5–	स्टेज निर्माण समस्त एसेसरीज तथा लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
6–	टिनशेड के नीचे लकड़ी तथा बांस के फ्रेम पर कच्ची सिलिंग समस्त एसेसरीज सहित,लेबर सहित	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
7–	पर्दे	15×10 फिट	प्रति नग प्रति दिन		
8–	कन्नात	15×6 फिट	,, ,, ,,		
9–	दरी(प्रति वर्ग)	10×8 फिट	,, ,, ,,		
10–	कालीन	9×6 फिट	,, ,, ,,		
11–	तख्त (साईज)	7×4 1/2 फिट	,, ,, ,,		
12–	चादंनी (साईज)	10×8 फिट	,, ,, ,,		
13–	तिरपाल	15×15 फिट	,, ,, ,,		
14–	मेज	2/4 फिट	प्रति नग प्रति दिन		
15–	मेजपोश	3×5फिट	,, ,, ,,		

16—	सिनटैक्स टंकी 500 लीटर	500 लीटर	,, ,, ,,		
17—	स्टील ट्रे	——	,, ,, ,,		
18—	स्टील जग	——	,, ,, ,,		
19—	बाल्टी	20 लीटर	,, ,, ,,		
20—	पानी का ड्रम	——	,, ,, ,,		
21—	टब	——	,, ,, ,,		
22—	गिलास	——	,, ,, ,,		
23—	कूड़ादान	——	,, ,, ,,		
24—	कुर्सी सादी	——	,, ,, ,,		
25—	कुर्सी डनलप	——	,, ,, ,,		
26—	सोफा वी.आई.पी.	——	,, ,, ,,		
27—	सेन्ट्रल टेबुल	——	,, ,, ,,		
28—	मैटिंग सामान्य	——	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
29—	मैटिंग युनिटेक (ग्रीन)	——	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
30—	बेरियर फीटिंग,लेबर आदि सहित	——	प्रति बेरियर प्रतिदिन		
31—	पेपर सीट काउण्टर फील	2.5×5फिट	प्रति वर्ग फिट प्रति दिन		
	बेरीकेडिग	——			
32—	एक बल्ली फीटिंग,लेबर आदि सहित	——	प्रति रनिंग मीटर प्रति दिन		
33—	दो बल्ली फीटिंग,लेबर आदि सहित	——	प्रति रनिंग मीटर प्रति दिन		
34—	तीन बल्ली फीटिंग,लेबर आदि सहित	——	प्रति रनिंग मीटर प्रति दिन		
35—	लोहे की चैन फीटिंग, लेबर आदि सहित	——	प्रति रनिंग मीटर प्रति दिन		
36—	टीन की चादर समस्त एसेसरीज सहित,लेबर सहित	10×3 फीट	प्रति नग प्रतिदिन		
37—	जाली(लोहे) प्रति रनिंग मीटर समस्त एसेसरीज सहित,लेबर सहित	——	प्रति रनिंग मीटर प्रति दिन		
38—	अस्थाई शौचलाय पिट सहित —समस्त आवश्यक सामग्री सहित	6X10	प्रति शौचालय		
39—	वेटर	——	प्रतिदिन		

ध्वनी एवं प्रकाश/विद्युत व्यवस्था

क्र. स.	वस्तु का नाम	आधार	इकाई	दर रूप्ये में समस्त टैक्स (वैट एवं अन्य सभी करों) सहित	
				प्रथम दिन	आगे के प्रत्येक दिन हेतु
1	2	3	4	5	6
1—	लाउडस्पीकर पूर्ण सैट हार्न आपरेटर सहित	एक सैट	प्रतिदिन		
2—	उच्च शक्ति के माईक सैट एमप्लीफायर सहित जिसमें आवश्यकतानुसार हार्न लगाये जा सकतें हैं। (एसेसरिज,तार, लेबर,आपरेटर आदि सहित)	एक सैट	प्रतिदिन		
3—	अतिरिक्त हार्न (एसेसरिज,तार, लेबर, आपरेटर आदि सहित)	प्रति नग	प्रतिदिन		
4—	साउण्ड सिस्टम, कम्प्लीट विद कालम मिक्सर कार्डलेस माइक एम्पलीफायर सहित कान्फ्रेन्स सिस्टम (एसेसरिज,तार, लेबर, आपरेटर आदि सहित)	एक सैट	प्रतिदिन		

	लाईन पोल समस्त एसेसरीज लेबर आदि सहित	प्रति नग	प्रति दिन		
5–	बल्ब (100वाट) समस्त होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	लेबर, आपरेटर, तार, स्वीचबोर्ड,मेनबोर्ड, चेंजबोर्ड, मेनलाईन, सब मेन लाईन आदि समस्त एसेसरीज सहित, व्यय भी सम्मिलित हैं।	प्रतिदिन		
6–	बल्ब (200वाट) मय होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
7–	बल्ब(500वाट) होल्डर,तार,लेबर सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
8–	सी.एफ.एल. 25 वाट होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
9–	ट्यूब लाईट प्रति प्वांइट होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
10–	फल्ड लाईट प्रति प्वांइट होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
11–	हैलोजन लाईट प्रति प्वांइट होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
12–	मैटल लाईट 400 वाट, प्रति प्वांइट होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
13–	मैन कन्ट्रोल यूनिट 200 ए.एम.पी.	,, ,,	प्रतिदिन		
14–	पिस्टल फैन समस्त होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
15–	सिलिंग फैन समस्त होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
16–	कूलर समस्त होल्डर,तार,लेबर आदि सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
17–	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि सहित **10 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज सहित **25 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज जसहित **64 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज सहित **125 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन सहित	,, ,,	प्रतिदिन		
18–	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि सहित **10 के.वी. वी. प्रतिदिन**– ईधंन रहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज सहित **25 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन रहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज जसहित **64 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन रहित	,, ,,	प्रतिदिन		
	जनरेटर तार,स्विच,आपरेटर आदि समस्त एसेसरीज सहित **125 के.वी. प्रतिदिन**– ईधंन रहित	,, ,,	प्रतिदिन		

दिनांक

ह./फर्म का नाम व पता

फर्म की स्पष्ट मुहर :

टैण्डर से सम्बन्धित शर्तें एवं प्रतिबन्ध–

1. सम्बन्धित फर्म आयकर विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए। प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें। पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें।
2. सम्बन्धित फर्म व्यापारकर/वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए। पंजियन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

3. निविदा में दी गयी सामग्री तथा अतिरिक्त कोई भी आवश्यक सामग्री की मांग किये जाने पर सम्बन्धित फर्म तत्काल सामान उपलब्ध करायेगी। सभी कार्य बतायी गयी निर्धारित समय सीमा के अन्दर मौके पर पूर्ण करने होंगें
4. फर्म को समस्त सामान की आपूर्ति यथा स्थान पर करनी होगी जिसके लिये अलग से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा।
5. टैण्टेज, प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था का समस्त कार्य एक ही निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त व्यवथाओं के लिये ₹ 1,00,000–00 (एक लाख रूपये) की धनराशि धरोहर/जमानत के रूप मे टैण्डर के साथ ही संलग्न करनी होगी, अन्यथा टैण्डर अस्वीकृत कर दिया जायेगा। धरोहर/जमानत की धनराशि उप जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से Pledge करके एफ.डी. अथवा एन.एस.सी. या राजकीय 385 की रसीद अथवा बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जानी होगी। यह धनराशि सन्तोषजनक कार्यपूर्ण होने के उपरान्त लौटा दी जायेगी।
6. सामान की टूट फूट और खोने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की ही होगी।
7. फर्म को वास्तविक प्रयोग्य दिनों का किराया ही देय होगा। प्रत्येक कार्य के लिए सम्बन्धित अधिकारी से कार्य आदेश प्राप्त करना होगा। किये गये कार्य का पूर्ण विवरण मेजरमेन्ट रजिस्टर की प्रति सत्यापन के उपरान्त कार्य समाप्त होने के अगले दिन जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा। कार्य का भुगतान निर्धारित कार्य के अनुरूप तथा शासन से धनावंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
8. कार्यालय द्वारा आदेश देने पर यदि कार्य समय के भीतर पूर्ण नहीं होता है या कोई सामान अच्छी दशा में आपूर्ति नहीं किया जाता है या व्यवस्था में कोई कमी पायी जाती है या कार्य के बीच आपूर्ति बन्द की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन बाध्यता के दृष्टिगत रखते हुये किसी भी सामान की अन्य फर्म से निर्धारित दर से अधिक दर पर व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके एवज में किये गये अधिक भुगतान का अन्तर स्वीकृत फर्म से वसूल किया जायेगा। साथ ही निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में फर्म के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अधीन प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
9. प्रत्येक वस्तु की किराये की दर प्रति दिन के हिसाब से टैण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। यदि कोई वस्तु एक से अधिक दिनों के लिए प्रयोग की जा रही है, ऐसी दशा में किराये की कुल धनराशि ऐसी वस्तु के वास्तविक बाजारी मूल्य से अधिक देय नहीं होगी।
10. आयकर की धनराशि बिलो के भुगतान से ही काट ली जायेगी। अन्य समस्त कर (टैक्स) भी सम्बन्धित फर्म द्वारा ही देय होंगे।
11. यदि पृथक–पृथक निविदादाताओं द्वारा अलग–अलग मदों (आइटमों) के लिए भिन्न–भिन्न न्यूनतम दरें अपनी निविदा में दी गयी हों, तो ऐसे मामलों में न्यूनतम दरों के आधार पर निगोशियसन (Negotiation) कर किसी एक फर्म को कार्य दिया जा सकेगा।
12. स्वीकृत निविदादाता द्वारा कार्य स्वयं किया जायेगा। अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
13. विद्युत कार्य हेतु ठेकेदार को अस्थाई विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा। बिजली की सप्लाई निरन्तर रहनी चाहिए। इस कार्य के लिये हर समय एक जैनरेटर चालू हालत में होना चाहिए। जैनरेटर का अलग से कोई किराया देय नहीं होगा।
14. टैण्ट आदि व्यवस्था का कार्य समय–समय पर बताये गये भिन्न–भिन्न स्थानों पर किया जायेगा।
15. सामग्री के लाने–ले जाने हेतु परिवहन/मजदूरी आदि का अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
16. निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. निर्वाचन के प्रत्येक कार्यक्रम जैसे पूर्वाभ्यास/संचलन/मतगणना/बैठक/अन्य निर्वाचन व्यवस्थाओं/प्रकियाओं में निर्देशानुसार व्यवस्थाएं करनी होगी।
18. निर्वाचन की समस्त व्यवस्थाओं में पानी आदि की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म को ही करनी होगी।
19. समस्त टैण्ट, प्रकाश, ध्वनि, पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं सम्बन्धित फर्म द्वारा सम्पन्न की जायेगी तथा टैण्ट की समस्त व्यवस्थाओं पर व्यय का भुगतान निर्वाचन विभाग द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से जनपद देहरादून के लिए इस मद हेतु कुल निर्धारित मानक से अधिक धनराशि का भुगतान किसी भी दशा मे नहीं किया जायेगा।
20. निविदादाता को इस प्रकार के कार्य/आयोजन का अनुभव होना चाहिए।
21. निर्वाचन विभाग की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा शर्तो का पालन करने वाले किसी भी निविदादाता को कार्य सौंपा जा सकता हैं।
22. किसी भी जिले में काली सूची में डाले गये निविदादाता इस निविदा के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
23. विभिन्न मदों की मात्रायें पूर्व लोक सभा सामान्य निर्वाचन से घट या बढ़ सकती है।
24. प्रतिदिन का किराया किसी भी दशा में उसके वास्तविक उपभोग मे आने वाले भाग के वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसे प्रकाश व्यवस्था हेतु किराया मात्र बल्ब, टयूब, सी.एफ.एल. का दिया जायेगा। विद्युत पोल, विद्युत तार, कनेक्शन आदि का किराया नहीं दिया जायेगा।

25. उपरोक्त वर्णित कार्यो के निर्वहन में बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, अनावश्यक पत्र व्यवहार करना, किसी भी प्रकार का दबाव डालना या डलवाना, दूसरी फर्मो के टेण्डर निरस्त करवाने का प्रयास करना, टेण्डर में बहुत अधिक दरें डालना, बहुत अधिक बिल प्रस्तुत करना, भुगतान हेतु दबाव डालना, आदि निर्वाचन कार्य के सफल आयोजन में बाधा डालने का प्रयास माना जायेगा तथा ऐसी फर्मो एवं उनकी सहायक/सहयोगी फर्मो को आगामी 5 वर्षो तक काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा अन्य विभागों को ऐसी कृत्य करने वाली फर्मो के बारे में सूचित करते हुये इनसे किसी भी प्रकार के राजकीय/सरकारी कार्य न कराये जाने की अपील की जा सकती है तथा इन फर्मो के विरूद्ध निर्वाचन कार्य में बाधा डालने तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती हैं

मुझे उक्त शर्तो के अधीन कार्य करना स्वीकार्य है।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैने उपरोक्त शर्ते कमांक 1 से 25 तक का विधिवत अवलोकन कर लिया है। मै यह घोषणा करता हूॅ कि यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है, तो निर्वाचन विभाग को पूरा अधिकार होगा कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि में से कटौती कर लें तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप भुगतान करें। अधिक बिल प्रस्तुत करने के कारण मेरे विरूद्ध विभिन्न प्रकार की जो भी कार्यवाही होगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा तथा कभी भी इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करूंगा।

दिनांक

ह./फर्म का नाम व पता

फर्म की स्पष्ट मुहर :